पर्चा डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
# टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या —371 / 2024

अनवान : —

मनजीत कौर पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्री निर्मल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड न0 58 सुरेषिया, हनुमानगढ़ जक्षंन तहसील व जिला हनुमानगढ़

वादीया

बनाम

1. निर्मल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. संतोख सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. कलबीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. लखविन्द्र कौर पुत्री निर्मल सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया हाल आबाद वार्ड न0 08, लुहारखेड़ा तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद
6. राजविन्द्र कौर पुत्री निर्मल सिंह पत्नी कष्मीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया वार्ड न0 06, 8 जी.बी., तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काष्तकारी अधि0 1955

उपरिथति :— श्री बलविन्द्र सिंह थिन्द — वादीया

श्री राहुल सिहाग — प्रतिवादीगण

दिनांक 28/4/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीया श्री बलविन्द्र सिंह थिन्द व वकील प्रतिवादीगण श्री राहुल सिहाग

सहायक कलक्टर टिब्बी



Scanned with CamScanner

अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि गुरमेल कौर के नाम से चक न0 1 टी.एल.डब्ल्यू.ए के वर्तमान खाता स0 48/47 में अंकित 0.632 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक के खाता स0 49/48 में अंकित कुल 0.101 हैक्टेयर कृषि भूमि की वादीयां को खातेदार काष्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में से गुरमेल कौर का नाम कलमजन किया जाकर वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेष दिया जाता है तथा इजराय प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेष नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner